न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–25/2019–20

प्रथम पक्षः–विश्वनाथ मिश्रा एवं अन्य, ग्राम–किसुनपुर, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–जगदीश ओझा एवं अन्य ग्राम–कुड़लौंगा, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा।

आदेश

इस वाद की प्रक्रिया अंचल अधिकारी, टण्डवा के विविध वाद संख्या–06/2015–16 में पारित आदेश के आलोक में इस न्यायालय से प्रारम्भ किया गया है। इस वाद में प्रथम पक्ष विश्वनाथ मिश्रा, भृगुनन्दन मिश्रा, पे0–स्व0 प्रयाग मिर, ग्राम–किसुनपुर है तथा द्वितीय पक्ष श्री जगदीश ओझा, पे0–रामशरण ओझा, जगदीश मुण्डा, पे0–रघुराम तिवारी, सातो देवी, पति–विगन तिवारी, सभी साकिन–कुड़लौंगा, थाना–टण्डवा, जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
कुड़लौंगा	60	542, 555	0.70 एकड़

अंचल अधिकारी, टण्डवा से अभिलेख प्राप्त होने के बाद इस वाद की प्रक्रिया में उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर लिखित कथन दाखिल करने तथा अपने दावे के समर्थन में राजस्व कागजात दाखिल करने का निर्देश दिया गया। द्वितीय पक्ष ने कभी भी इस न्यायालय में अपनी हाजरी नहीं दिया और न हीं उपस्थित हुए। द्वितीय पक्ष को स्पीड पोस्ट से नोटिस दिया गया, इसके बावजुद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अंत में इस मामले को एकपक्षीय सुना गया।

एकपक्षीय कार्रवाई में प्रथम पक्ष ने लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय को यह बताया है कि प्रक्रिया से संबंधित भूमि सर्वे खतियान में अनमोल मिश्र के नाम से दर्ज है। अनमोल मिश्र के पुत्र प्रयाग मिश्र हुए। प्रयाग मिश्र के तीन पुत्र हुए। विश्वनाथ मिश्र, भृगुनन्दन मिश्र एवं सिधेश्वर मिश्र। ये सभी प्रथम पक्षकार हैं, जिनका कथन है कि द्वितीय पक्ष के सभी सदस्यों ने उनकी खतियानी भूमि को बजबरन हड़पकर पंजी–2 में अपना नाम इन्द्राज कर लिया है। प्रथम पक्ष के अनुसार जगदीश ओझा, पिता–रामशरण ओझा ने खाता नं0–60, प्लॉट नं0–542 में 0.16 एकड़ और 555 में 0.19 एकड़, कुल 0.35 एकड़ जगदीश मुण्डा ने खाता नं0–60, प्लॉट नं0–55 में रकबा–0.19 एकड़ तथा सातो देवी, पति–विगन तिवारी ने खाता नं0–60, प्लॉट नं0–542 में रकबा–0.16 एकड तीनों मिलकर 0.70 एकड़ भूमि पंजी–2 में गलत इन्द्राज करा लिया है। प्रथम पक्ष के द्वारा उपरोक्त सभी

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दी को रद्द करने हेतु आग्रह किया गया है तथा खतियानी रैयत के वारिशान के नाम से जमाबन्दी कायम करने हेतु अनुरोध किया है।

इस प्रकार इस वाद की प्रक्रिया में एकपक्षीय कार्रवाई के दौरान यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का मामला पूर्व से कायम जमाबन्दी को रद्द करने तथा नया जमाबन्दी कायम करने को लेकर है। मामला हक–हकियत का भी है। क्योंकि प्रथम पक्ष इस प्रकार का दावा खतियानी रैयत के वारिशान के आधार पर कर रहें हैं। मेरी राय में हक़–हकीयत का मामला व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। अतः प्रथम पक्ष व्यवहार न्यायालय में अपना पक्ष रखकर इसका निष्पादन करा सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

9/8/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

9/8/2023

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

ज्ञापांक- 55 दिनांक- 12/07/2023

प्रतिलिपि:- अंचल अधिकारी, हसडीहा को विविध वाद सं०-25/19-20 विश्वनाथ मिश्रा बनाम जगदीश ओझा में पारित आदेश की प्रति एवं प्राप्त L.C.R 06/15-16 मूल में संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/8/2023

भू०सु०उपसमाहर्त्ता
सिमरिया।

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2024.07.18 15:11:09 +05:30
Location: 192.168.209.12

Scanned with OKEN Scanner